

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त कार्य पूरा होने के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यक्तिगत, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी बहिष्पति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत मकानों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल शिडली केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 817 दिनांक 13/12/2020

प्रार्थी बन्नालाल मेधावाल डा० 351 गभुवराम

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय P.No. 25 एक 36

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश पॉपलरबी इडमिज बोर्ड

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 3374/- प्रमा

जारी रसीद संख्या 9069/5493 5494

दिनांक 13/12/2020 को जमा करा दो है ।

13/12/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

जी + /
आवासीय

दस्तावेज

(बन्नालाल मेधावाल)

9460432507